

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, एटा।**

पत्रांक: 919 / 16A

दिनांक: 29/06/2019

सेवा में,

श्री अभिषेक चक्रवर्ती,
प्रबन्धक-ट्रान्समिशन,
घाटमपुर ट्रान्समिशन लि०,
हाउस नं०-बी-218 बी, सिगमा-1
गौतमबुद्धनगर, उ०प्र०-201308

विषय:- जनपद एटा में सादाबाद-जलेसर-अवागढ़ मार्ग (M.D.R.-106) पर 765 के०वी० ट्रान्समिशन लाईन क्रॉसिंग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक GTL/March/19/29 Dt. 27.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र एवं पत्र में दर्शायी गयी स्थिति तथा सहायक अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सम्बन्धित मार्ग के ऊपर हाई टेशन लाईन क्रॉसिंग हेतु अनापत्ति दी जाती है-

1. मार्ग के मध्य से दोनों ओर न्यूनतम 30.00 मी० दूरी पर ट्रान्समिशन लाईन का टॉवर होना चाहिए।
2. मार्ग के ऊपर से न्यूनतम 18.00मी० ऊँचाई से ट्रान्समिशन लाईन गुजरनी चाहिए।
3. मार्ग के किनारे विभागीय भूमि पर कोई टॉवर स्थापित न किये जाये।
4. पावर लाईन खींचते समय यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
5. पावर लाईन से भविष्य में किसी प्रकार की क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व घाटमपुर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन का होगा।
6. भविष्य में यदि मार्ग की ऊँचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें लाईन शिफ्टिंग पर आने वाले खर्च एवं कार्य की समस्त जिम्मेदारी घाटमपुर ट्रान्समिशन लि० की होगी।
7. पावर लाईन से किसी अन्य विभाग की लाईन/यूटीलिटी सर्विस को क्षति न पहुँचाई जाये, ऐसी इसी क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व घाटमपुर ट्रान्समिशन लि० का होगा।
8. आपके द्वारा पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र में दर्शायी गयी मापों के अनुसार ही कार्य स्थल पर निर्माण कार्य कराया जाये।
9. पावर लाईन खींचने के कारण मार्ग की लेपित सतह को कोई भी क्षति न पहुँचायी जाये।

उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन पर उक्त अनापत्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

(आर०के० सिंह)

अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,

एटा।

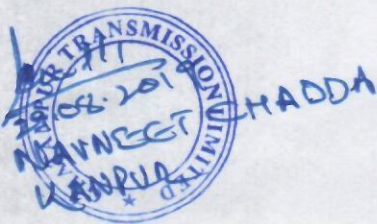
पत्रांक: 919 / 16A

प्रतिलिपि:-

दिनांक: 29/06/2019

1. श्री मनिन्दर सिंह, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा०), निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, एटा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,
एटा।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, सिविल लाइन, फिरोजाबाद

पत्रांक 728/8A

दिनांक 03-06-2019

सेवा में,

श्री अभियेक चक्रवर्ती,
प्रबन्धक-ट्रान्समिशन,
घाटमपुर ट्रान्समिशन लि0,
हाउस नं0-बी-218 बी, सिगमा-1,
गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0-201308

विषय :- जनपद फिरोजाबाद में टूण्डला अवागढ़ मार्ग (एस0-31) पर 765 के0वी0 ट्रान्समिशन लाईन क्रासिंग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक GTL/MAR/19/28 Dated 27.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र एवं पत्र में दर्शायी गयी स्थिति तथा सहायक अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सम्बन्धित मार्ग के ऊपर हाई टेंशन लाईन क्रासिंग हेतु अनापत्ति दी जाती है-

1. मार्ग के मध्य से दोनों ओर न्यूनतम 30.00 मी0 दूरी पर ट्रान्समिशन लाईन का टॉवर होना चाहिए।
2. मार्ग के ऊपर से न्यूनतम 15.00 मी0 ऊंचाई से ट्रान्समिशन लाईन गुजरनी चाहिए।
3. मार्ग के किनारे विभागीय भूमि पर कोई टॉवर स्थापित न किये जाये।
4. पावर लाइन खींचते समय यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
5. पावर लाईन से भविष्य में किसी प्रकार की क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व घाटमपुर ट्रान्समिशन कारपोरेशन का होगा।
6. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है। तो उसमें लाईन शिफ्टिंग पर आने वाले खर्च एवं कार्य की समस्त जिम्मेदारी घाटमपुर, ट्रान्समिशन लि0 की होगी।
7. पावर लाईन से किसी अन्य विभाग की लाईन / यूटिलिटी सर्विस को क्षति न पहुँचाई जाये ऐसी इसी क्षति का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व घाटमपुर, ट्रान्समिशन लि0 का होगा।
8. आपके द्वारा पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र में दर्शायी गयी मापों के अनुसार ही कार्य स्थल पर निर्माण कार्य कराया जाये।
9. पावर लाईन खींचने के कारण मार्ग की लेपित सतह को कोई भी क्षति न पहुँचायी जाये।

उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन पर उक्त अनापत्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

(संजीव कुमार पुष्कर)

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0,

फिरोजाबाद

दिनांक

पत्रांक

प्रतिलिपि :

1. श्री एन0के0शर्मा सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, फिरोजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रो0) निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, फिरोजाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0,

फिरोजाबाद

Firozabad CD-2



कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रा०ख०लो०नि०वि०, हाथरस

(E-mail id : pdpwdhathras@gmail.com)

पत्रांक 1439

/ 48

दिनांक 10/5/19

सेवामें

मैनेजर-ट्रांसमिशन
घाटमपुर ट्रांसमिशन लि०
म०न०-बी-218, सिग्मा-1,
गौतमबुद्ध नगर,
उ०प्र०- 201308

विषय :- NOC for crossing SH-33 & other roads under Public Works Department, Hathras

संदर्भ :- आपका पत्रांक- जी.टी.एल./मार्च/19/26 दिनांक 27.03.2019

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार पीलीभीत भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-33) के किमी 216 चैनेज 215.600 (निकट ग्राम मैण्डू) (लाइन का नाम 765 KV SC ट्रांसमिशन लाइन, आगरा सब स्टेशन से ग्रेटर नोएडा (WUPPTCL)) तक पड़ने वाली ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है। उक्त ट्रांसमिशन लाइन पर अनापत्ति इस शर्त के साथ दी जाती है कि पावर ग्रिड के नियमों/मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसमिशन लाइनों को सावधानी पूर्वक मार्गों से क्रॉस किया जाए, जिससे मार्गों पर कोई अवरोध की स्थिति उत्पन्न न हो एवं संभावित दुर्घटना से बचाव हो सके तथा यदि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने की यदि आवश्यकता होती है, तो ट्रांसमिशन लाइन की ऊँचाई एवं चौड़ाई को आपके स्तर से व्यवस्थित/सिफ्ट किया जाना होगा, जिस पर होने वाला व्यय भार आपके विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

(आ०के० मिश्रा)

अधिशासी अभियंता
प्रा०ख०लो०नि०वि०, हाथरस।

पत्रांक : /

दिनांक

प्रतिलिपि-

1. सहायक अभियंता (तृतीय) प्रा०ख० लो०नि०वि०, हाथरस।
2. अवर अभियंता (प्रा०) प्रा०ख० लो०नि०वि०, हाथरस।



अधिशासी अभियंता
प्रा०ख०लो०नि०वि०, हाथरस

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, एटा।**

पत्रांक: 918 / 16A
सेवा में,

दिनांक: 29/06/2019

श्री अभिषेक चक्रवर्ती,
प्रबन्धक-ट्रान्समिशन,
घाटमपुर ट्रान्समिशन लि०,
हाउस नं०-बी-218 बी, सिगमा-1
गौतमबुद्धनगर, उ०प्र०-201308

विषय:- जनपद एटा में आगरा-जलेसर मार्ग (O.D.R.) पर 765 के०वी० ट्रान्समिशन लाईन क्रॉसिंग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक GTL/March/19/29 Dt. 27.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र एवं पत्र में दर्शायी गयी स्थिति तथा सहायक अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सम्बन्धित मार्ग के ऊपर हाई टेशन लाईन क्रॉसिंग हेतु अनापत्ति दी जाती है-

1. मार्ग के मध्य से दोनों ओर न्यूनतम 30.00 मी० दूरी पर ट्रान्समिशन लाईन का टॉवर होना चाहिए।
2. मार्ग के ऊपर से न्यूनतम 18.00मी० ऊँचाई से ट्रान्समिशन लाईन गुजरनी चाहिए।
3. मार्ग के किनारे विभागीय भूमि पर कोई टॉवर स्थापित न किये जाये।
4. पावर लाईन खींचते समय यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
5. पावर लाईन से भविष्य में किसी प्रकार की क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व घाटमपुर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन का होगा।
6. भविष्य में यदि मार्ग की ऊँचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें लाईन शिफ्टिंग पर आने वाले खर्च एवं कार्य की समस्त जिम्मेदारी घाटमपुर ट्रान्समिशन लि० की होगी।
7. पावर लाईन से किसी अन्य विभाग की लाईन/यूटीलिटी सर्विस को क्षति न पहुँचाई जाये, ऐसी इसी क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व घाटमपुर ट्रान्समिशन लि० का होगा।
8. आपके द्वारा पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र में दर्शायी गयी मापों के अनुसार ही कार्य स्थल पर निर्माण कार्य कराया जाये।
9. पावर लाईन खींचने के कारण मार्ग की लेपित सतह को कोई भी क्षति न पहुँचायी जाये।

उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन पर उक्त अनापत्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

(आर०के० सिंह)

अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,

एटा।

पत्रांक: /

दिनांक:

प्रतिलिपि:-

1. श्री मनिन्दर सिंह, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा०), निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, एटा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,
एटा।



कार्यालय अधिवासी अभियन्ता
निर्माण बाण्ड लोक निर्माण विभाग
बुर्जा

पत्रसंख्या: 1249/1457
सेवा में,

दिनांक: 5/7/2019

✓ श्री अभिषेक कुशवर्ती
प्रकृष्टांक ट्रान्समिशन
छाटमपुर ट्रान्समिशन लि०
हाउस नं० बी-218 सिंगमा-1
गीतमबुदनगर उ०प्र० 201308

विषय- जनपद झुनडगढ़ में बाज्रा-जेवर मार्ग प्रमुखा जिला मार्ग सं०-70 डबल के
ऊपर से 765 केवी० ट्रान्समिशन लाइन की जातिंग की अनुमति के सम्बन्ध
में।

संदर्भ - आपका पत्रांक जी०टी०स०/मार्च/2019/24 दिनांक 27-03-2019

-x-x-

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के साथ तल्लग्न मानचित्र स्वम पत्र में दर्शायी
गयी स्थिति तथा सहायक अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर बाज्रा-जेवर मार्ग प्रमुखा
जिला मार्ग सं०-70 डबल के किमी०-16 सेज 15.800 में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ
विषयक मार्ग के ऊपर हाईटन लाइन जातिंग हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है।

- 1- मार्ग के मध्य से दोनों ओर न्यूनतम 30.00मी० पर ट्रान्समिशन लाइन का
टाँवर होना चाहिये।
 - 2- मार्ग के ऊपर से न्यूनतम 15.00मी० की ऊँचाई पर ट्रान्समिशन लाइन गुजरनी
चाहिये।
 - 3- मार्ग के किनारे विभागीय भूमि पर कोई टाँवर स्थापित न किये जायें।
 - 4- पाँवर लाइन बाँधते समय वातावात में अवरोध उत्पन्न न हो।
 - 5- पाँवर लाइन से भाविष्य में किसी भी प्रकार की क्षति होने पर समस्त
उत्तरदायित्व छाटमपुर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० का होगा।
 - 6- भाविष्य में यदि मार्ग की ऊँचाई बढ़ाई जाती है, तो उसमें लाइन सिगिफिंग
पर आने वाले व्यय स्वम कार्य की तत्पश्चात् जिम्मेदारी छाटमपुर ट्रान्समिशन लि० की होगी।
 - 7- पाँवर लाइन से किसी अन्य विभाग की लाइन/यूटीलिटी सर्विस की क्षति
न पहुँचायी जाये, ऐसी किसी भी क्षति का तत्पश्चात् उत्तरदायित्व छाटमपुर ट्रान्समिशन
लि० का होगा।
 - 8- आपके द्वारा पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र में दर्शायी गयी मापों के अनुसार
ही कार्य स्थल पर निर्माण कराया जाये।
 - 9- पाँवर लाइन बाँधने के कारण मार्ग की लेपित सड़क को कोई क्षति न
पहुँचाई जाये।
- उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन पर उक्त अनापत्ति स्वतः ही निरस्त
मानी जायेगी।

पत्रसंख्या: /

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता प्रथम निर्माण बाण्ड, लो० नि० वि०, बुर्जा को
सूचनाार्थ स्वम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि श्री सोनू कुमार अवर अभियन्ता को सूचनाार्थ स्वम आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि अवर अभियन्ता प्र० निर्माण बाण्ड, लो० नि० वि०, बुर्जा को
सूचनाार्थ प्रेषित।



अधिवासी अभियन्ता
निर्माण बाण्ड लो० नि० वि० बुर्जा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़

पत्रांक: 3144

/अखगंनअ/

दिनांक: 18/07/2019

विषय: घाटमपुर तापीय परियोजना की ऊर्जा निकासी के लिए नहर के ऊपर से विद्युत पावर लाइन कास कराने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक जी0टी0एल0/मार्च 27. 2019/

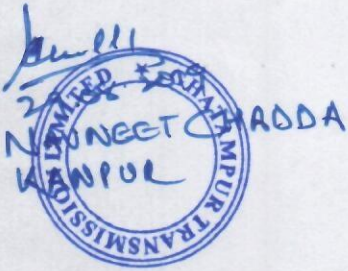
प्रबन्धक अभिषेक चक्रवर्ती, घाटमपुरम ट्रान्समिशन लिमिटेड, हाउस नं0 बी-218, सिग्मा-1 गौतमबुद्धनगर उ0प्र0, उ0प्र0।

उपरोक्त विषयक एवं संन्दर्भित पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि घाटमपुर तापीय परियोजना की ऊर्जा निकासी के लिए नहर के ऊपर से विद्युत पावर लाइन कास कराने हेतु अनुमति प्रबन्धक अभिषेक चक्रवर्ती, घाटमपुरम ट्रान्समिशन लिमिटेड, हाउस नं0 बी-218, सिग्मा-1 गौतमबुद्धनगर उ0प्र0, उ0प्र0 के द्वारा मांगी गयी है।

सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

1. एम0बी0एफ0 पर बैंक से 15.50 मीटर क्लीनेन्स पर इलैक्ट्रीक लाइन डाली जाये।
2. उक्त कार्य कराते समय नहर के डोले एवं बैंक को कोई क्षति न पहुँचे।
3. कार्य कराने के उपरान्त उक्त भूमि पर सिंचाई विभाग का ही स्वामित्व रहेगा।
4. उक्त कार्य विभागीय जूनियर इंजीनियर की देख रेख में किया जायेगा।
5. कार्य अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कराना है।
6. नहर की पटरी निर्माण के कारण पानी के बहाव में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

अधिशासी अभियन्ता,
अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़

पत्रांक: 3144

/अखगंनअ/

दिनांक: 18/07/2019

विषय: घाटमपुर तापीय परियोजना की ऊर्जा निकासी के लिए नहर के ऊपर से विद्युत पावर लाइन कास कराने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक जी0टी0एल0/मार्च 27. 2019/

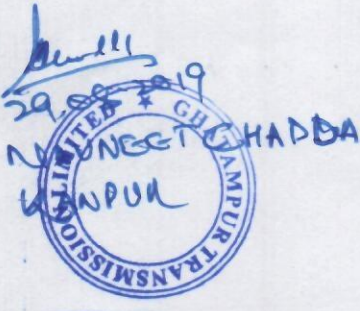
प्रबन्धक अभिषेक चक्रवर्ती, घाटमपुरम ट्रान्समिशन लिमिटेड, हाउस नं0 बी-218, सिग्मा-1 गौतमबुद्धनगर उ0प्र0, उ0प्र0।

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि घाटमपुर तापीय परियोजना की ऊर्जा निकासी के लिए नहर के ऊपर से विद्युत पावर लाइन कास कराने हेतु अनुमति प्रबन्धक अभिषेक चक्रवर्ती, घाटमपुरम ट्रान्समिशन लिमिटेड, हाउस नं0 बी-218, सिग्मा-1 गौतमबुद्धनगर उ0प्र0, उ0प्र0 के द्वारा मांगी गयी है।

सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

1. एम0बी0एफ0 पर बैंक से 15.50 मीटर क्लीनेन्स पर इलैक्टिक लाइन डाली जाये।
2. उक्त कार्य कराते रागय नहर के डोले एवं बैंक को कोई क्षति न पहुँचे।
3. कार्य कराने के उपरान्त उक्त भूमि पर सिंचाई विभाग का ही स्वामित्व रहेगा।
4. उक्त कार्य विभागीय जूनियर इंजीनियर की देख रेख में किया जायेगा।
5. कार्य अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कराना है।
6. नहर की पटरी निर्माण के कारण पानी के बहाव में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

अधिशासी अभियन्ता,
अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़



Full Title of The Project: Agra- Greater Noida 765 kV S/C Transmission Line

File No.: FP/UP/TRANS/41685/2019

Date of Proposal: 31-08-2019

UNDERTAKING FOR NO OBJECTION CERTIFICATE FROM OWNER DEPARTMENTS

I, Navneet Chadda, authorized signatory of Ghatampur Transmission Limited, on behalf of the Company, do hereby undertake as under:

1. Protected Forest land involvement in our proposed alignment is at NH 509, NH-2 (, SH-31, SH-33, SH-22A & SH-80 & canals namely Upper Ganga Canal, Central Ganga Canal, MDR-70W, MDR-106, Etah- Barhan, Hathras-Hathras Kila & Kasganj- Achhnera Railway Lines only.
2. We have **already obtained & uploaded** the No Objection Certificate from Public Works Department for SH-31, SH-33 & SH-22A, MDR-70W & MDR-106.
3. We have already obtained & uploaded the No Objection Certificate from Irrigation Department for Upper Ganga Canal & Central Ganga Canal.
4. We have **applied** to obtain the No Objection Certificate from National Highway Authority of India for NH-509 & NH-2 acknowledgement copy is being uploaded.
5. We have applied to obtain the No Objection Certificate from Railways for crossing Etah- Baran, Hathras-Hathras Kila & Kasganj- Achhnera Railway Lines.
6. **We further undertake to provide remaining No Objection Certificate(s) from Owner Departments at the time of submitting hard copies to concerned DFOs .**

Date : 06/11/2019

Place : Kanpur


Navneet Chadda
Senior Manager